24.07.2023

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री गोविन्द राम सैनी पुत्र श्री नन्सु राम सैनी उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 12 खण्डेला जिला सीकर (मौके पर विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स गोविन्द रेस्टोरेंट खण्डेला जिला सीकर कि ओर से एडवोकेट श्री सुरेश कुमार सैनी उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.07.2020 को समय 02:00 पी.एम. पर निरीक्षण के लिए मैसर्स गोविन्द रेस्टोरेंट खण्डेला जिला सीकर पर पहुँचे। फर्म पर श्री गोविन्द राम सैनी पुत्र श्री नन्सु राम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 12 खण्डेला जिला सीकर उपस्थित था। विक्रेता कि उपस्थिति में मैसर्स गोविन्द रेस्टोरेंट खण्डेला का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान फर्म पर खाद्य पदार्थ मावा पेडा विक्रय के लिए रखी हुई थी। अप्रार्थी को मैंने अपना परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति नहीं होना बताया।

फर्म पर श्री गोविन्द राम सैनी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा पेडा विक्रय के लिए रखी हुई थी। जिसमें मुझे मिलावट कि शंका होने पर मैसर्स पर उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ माव पेड़ा खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 500 रु नगद देकर रसीद प्राप् कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन [illegible] हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमू अमानक पाया गया। वकील अप्रार्थी ने, अप्रार्थी के कारोबार को देख हुये कम से कम जूर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जा का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ... जो ... तामील...
	प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर एफ–1897 खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 20,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner